

सामाजिक विज्ञान

(अर्थशास्त्र)

अध्याय-3: निर्धनता एक चुनौती



निर्धनता

निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है। निर्धनों (गरीबों) की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं।

भारत में निर्धनता

भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है (विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़े) दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही हैं।

भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के सम्बन्ध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2,400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख है — दांडेकर तथा रथ, बी.एस.मिनहास, पी.डी.ओझा, प्रणव बर्धन, आइ. जे. अहलूवालिया, एस. पी. गुप्त, तेन्दुलकर, सी. रंगराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं।

निर्धनता के दो विशिष्ट मामले

- **शहरी निर्धनता :-** शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगो में रिक्षा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये अक्सर झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं।
- **ग्रामीण निर्धनता :-** ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, लघु एवं सीमान्त किसान आदि आते हैं।



सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता

- सामान्यता निर्धनता का सम्बन्ध आय अथवा उपभोग के स्तर से है।
- उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी निर्धनता को देखा जाता है।

निर्धनता रेखा

आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है।

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है :-

- कैलोरी आवश्यकता :-

ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन।

- **आय :-**
- ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह (2011-12 के आंकड़े)। ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमिटी द्वारा दी गयी थी।
- इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए सी.रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमिटी बनायी गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन)

वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय-समय पर आकलन करती है। (हर पांच साल में)

- **गरीबी कम हुई है :-**
- पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से।
- केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है।
- आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया है।
- पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से।

असुरक्षित समूह

अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनयित मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं।

अंतरराज्यीय असमानताएं

प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और ओडिशा सर्वाधिक निर्धन

राज्य हैं।

वैश्विक निर्धनता परिदृश्य

विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन एक डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह।

निर्धनता के कारण

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर।
- उच्च जनसंख्या वृद्धि।
- भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण।
- सामाजिक और सांस्कृतिक कारण।

निर्धनता निरोधी उपाय

- निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता- निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर निर्भर है।
- आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन।
- लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम।

आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन

आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा सम्बन्ध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती है।

लेकिन, ऐसा संभव है आर्थिक संवृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पायें इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।

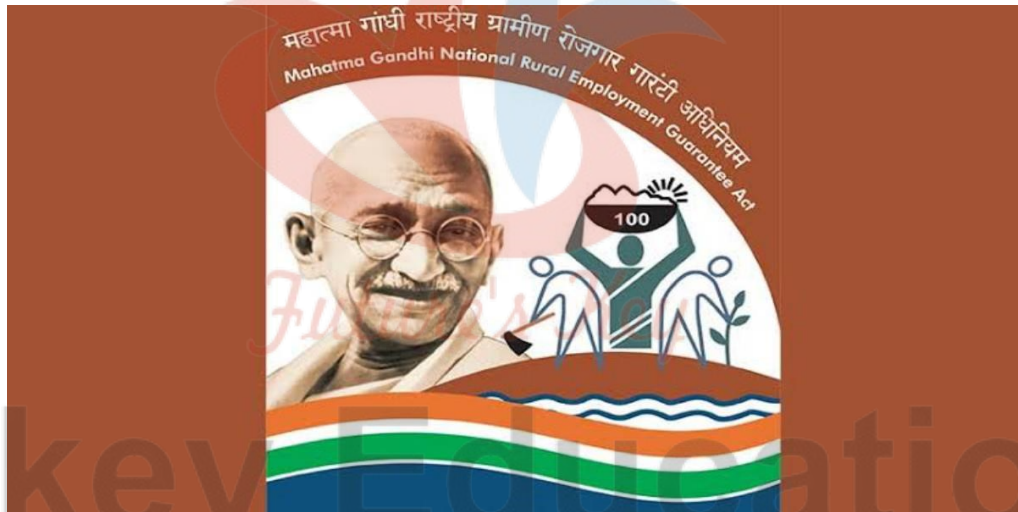
लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम :-

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना।

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना।
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना।
- अन्त्योदय अन्न योजना।
- इसलिए, इन दोनों रणनीतियों को पूरक भी माना जाता है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005

- उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना।
- साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी।
- एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित।
- आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान।



प्रधानमंत्री रोजगार योजना

- 1993 में प्रारंभ।
- उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन।
- लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करता है।

स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999

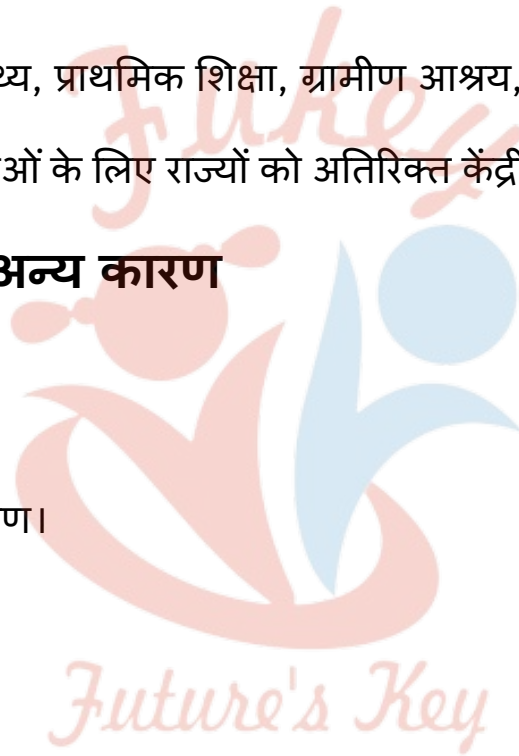
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से उपर लाना है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000

इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

निर्धनता से संबंधित अन्य कारण

- भूमिहीनता।
- परिवार का आकार।
- खराब स्वास्थ्य / कुपोषण।
- असहायता।
- बेराजगारी।
- निरक्षरता।
- बाल श्रम।



Fukey Education

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 40)

प्रश्न 1 भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?

उत्तर – निर्धनता को मापने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित हैं। खाद्य वस्तुएँ जैसे अनाज, दालें, आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि रूप। में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष। 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रतिमाह और। शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रतिमाह किया गया था।

प्रश्न 2 क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?

उत्तर – वर्तमान निर्धनता अनुमान पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की बजाय न्यूनतम स्तर को महत्व देती है। सिंचाई और क्रान्ति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में कई नौकरियों के अवसर दिए लेकिन भारत में इसका प्रभाव कुछ भागों तक ही सीमा रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने नौकरियों के अवसर दिए हैं। लेकिन ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा बहुत कम है। निर्धनता को विभिन्न संकेतकों के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे अशिक्षा का स्तर, कुपोषण के कार मान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुँच, नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी

में कमी, सफाई व्यवस्था आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य है। गरीबी पर सामाजिक उपेक्षा एवं गरीबी का शिकार होने की प्रवृत्ति के आधार पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रश्न 3 भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।

उत्तर – भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55 प्रतिशत से वर्ष 1993 में 36 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 26 प्रतिशत पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों 1973-93 में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही नवीनतम अनुमान, निर्धनों की संख्या में लगभग 26 करोड़ की कमी उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं।

प्रश्न 4 भारत में निर्धनता की अंतर-राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर – भारत में निर्धनता की अन्तर्राज्य असमानता का वितरण निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट है।

क्रमांक	राज्य	गरीबी अनुपात(%)
1.	ओडिशा	47.2
2.	बिहार	37.4
3.	मध्य प्रदेश	37.4
4.	आसाम	36.1
5.	त्रिपुरा	34.4
6.	उत्तर प्रदेश	31.2
7.	पश्चिम बंगाल	27.1
8.	महाराष्ट्र	25.0
9.	तमिलनाडु	21.1
10.	कर्नाटक	20.0

11.	आन्ध्र प्रदेश	15.8
12.	राजस्थान	15.3
13.	गुजरात	14.0
14.	केरल	12.7
15.	हरियाणा	8.7
16.	दिल्ली	8.2
17.	हिमाचल प्रदेश	7.6
18.	पंजाब	6.2
19.	जम्मू एवं कश्मीर	3.5
20.	सम्पूर्ण भारत	26.1

भारत के निश्चित क्षेत्रों के गरीबी अनुपात (1999-2000) से यह स्पष्ट होता है कि ओडिशा भारत का सबसे गरीब राज्य है जिसकी 47.2% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जम्मू-कश्मीर में सबसे कम 3.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। भारत में कुल 26.1% लोग निर्धनता की रेखा के नीचे हैं।

प्रश्न 5 उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।

उत्तर – जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है।

प्रश्न 6 भारत में अन्तर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।

उत्तर – भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक सामान नहीं है। आजादी के बाद गरीबी में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। हालाँकि

अनुमान दर्शाते हैं कि निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से काम है। निर्धनता कम करने में सफलता कि दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं।

1. असम, बिहार, उड़ीसा, यू.पी. और त्रिपुरा भारत के सबसे गरीबी से ग्रस्त राज्य हैं इन राज्यों में गरीबी अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 43 और 47 के गरीबी अनुपात वाले सबसे गरीब राज्य हैं।
2. कम निर्धनता औसत वाले राज्य: हरियाणा, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात बहुत कम है।
3. 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। केरल और जम्मू -कश्मीर में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

प्रश्न 7 वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।

उत्तर – विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों; विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना; का अनुपात 1990 के 28 प्रतिशत से गिर कर 2001 में 21 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि 1980 से वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घट कर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई है। दक्षिण एशिया के देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्ला देश, भूटान) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। जबकि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात पहले जैसा ही है, सब-सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 41 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 46 प्रतिशत हो गई है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, बांग्ला देश और भारत में अब भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी।

प्रश्न 8 निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें।

उत्तर – भारत से निर्धनता उन्मूलन करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाये गए हैं।

1. **आर्थिक विकास में वृद्धि-** आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना निर्धनता उन्मूलन हेतु महत्त्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि तेजी से होनी चाहिए तभी आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।
2. **भूमि सुधार-** गरीब किसानों में बाँट देना चाहिए। भूमि के बिखराव को रोकना चाहिए और खेतों की चकबंदी की जानी चाहिए।
3. **जनसंख्या पर नियंत्रण-** गरीबी को अधिक सीमा तक कम किया जा सकता है यदि हम परिवार नियोजन पर जोर दें। जनसंख्या नियंत्रण से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। यह जनसंख्या वृद्धि की दर में एवं आर्थिक संसाधनों के बीच अन्तर करने में सहायक होगा।
4. **अत्यधिक रोजगार के अवसर-** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्य विस्तृत पैमाने (extensive scale) पर प्रारम्भ किया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए। मानवशक्ति का कुशल उपयोग निःसंदेह अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न करेगी और इससे गरीबी को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है।

प्रश्न 9 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए।

- a) मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?
- b) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन हैं?
- c) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर –

- a) **मानव निर्धनता:** मानव निर्धनता की अवधारणा केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का 'उचित स्तर' न मिलना। अनपढ़ता, रोजगार के अवसर में कमी, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में कृमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धनता के कारक हैं।
- b) **निर्धनों में भी सबसे निर्धन:** महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है।

c) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) की विशेषताएँ अग्रलिखित हैं।

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) को सितंबर 2005 में पारित किया गया।
2. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है।
3. प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया।
4. प्रस्तावित रोजगारों का एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है।
5. केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा।

Future's Key

Fukey Education